

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 65 / 2025(GCMS 2025/317)
(RTI No. 212598871960598)

श्री कृष्ण कुक्कड, निवारी 1/103 हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर
93527-49963

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर



04.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपजिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2025 से सूचना चाही थी जो उप जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने उप जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष राजस्थान सरकार द्वारा धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दायर राजस्व वाद सरकार बनाम मुकेश शाह राजस्व वाद संख्या 181/2021 तारीख पेशी 22.07.2025 में तहसीलदार द्वारा पेश वाद पत्र, शपथ पत्र, तहसीलदार, रिपोर्ट पटवार हल्का, गिरदावरी, नक्शा, जमाबंदी, प्रतिवादी को जारी सम्मन, सम्मन की पुस्त पर तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी को सम्मन तामील कराने की रिपोर्ट, तहसीलदार द्वारा सम्मन तामील करवाकर वापिस नहीं लौटाने पर तहसीलदार को जारी कारण बताओ नोटिस, प्रतिवादी द्वारा पेश जवाब, शपथ पत्र सहित पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां दी जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/कृष्ण कुक्कड/ऑनलाईन/2025/3458 दिनांक 28.07.2025 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:



जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु सं.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दायर वाद सरकार बनाम मुकेश शाह राजस्व वाद संख्या 181/2021 तारीख पेशी 22.07.2025 में तहसीलदार द्वारा पेश वाद पत्र, शपथ पत्र तहसीलदार, रिपोर्ट पटवार हल्का, गिरदावरी, नक्शा, जमाबंदी, प्रतिवादी को जारी सम्मन, सम्मन की पुस्त पर तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी को सम्मन तामील कराने की रिपोर्ट, तहसीलदार द्वारा सम्मन तामील करवाकर वापिस नहीं लौटाने पर तहसीलदार को जारी कारण बताओ नोटिस, प्रतिवादी द्वारा पेश जवाब, शपथपत्र सहित पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां दी जावे।	इस न्यायालय में सरकार बनाम मुकेश शाह पत्रावली धारा अन्तर्गत 86 आरटीए जैरकार है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 23.09.2025 है। चूंकी पत्रावली जैरकार है, जिसमें अभी निर्णय अपेक्षित है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 08 के अन्तर्गत सूचना देय नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर अपने पत्रांक आरटीआई/कृष्ण कुक्कड़/ऑनलाईन/2025/3458 दिनांक 28.07.2025 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया हैं जिसमें उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 08 के अन्तर्गत सूचना देय नहीं का अंकन किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 08 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Section- 8 Exemption from disclosure of information-(1):


Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen.

(a) Information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence;

(b) Information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

(c) Information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) Information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(e) Information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(f) Information received in confidence from foreign Government;

(g) Information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(h) Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(i) Cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers.

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over.

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed.

(j) Information which relates to personal information and the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the Appellate Authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information

Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

.....

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने जवाब में स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 8 की किस उपधारा के अन्तर्गत सूचना देय नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र का पुनः परीक्षण कर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को सूचना दिया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर